कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय, गाजीपुर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या– 06 / अ0अ0 / 2016–17

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबन्द निविदायें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः 22.03.2017 को अपरान्ह 1:00 बजे तक देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय, गाजीपुर के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 22.03.2017 को पूर्वान्ह 04:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय, गाजीपुर के कार्यालय कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 20.03.2017 से दिनांक 21.03.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय, गाजीपुर; अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी; अधिशासी अभियन्ता, चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय, चन्दौली के कार्यालय व पंजाब नैशनल बैंक, शाखा–गाजीपुर में (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र, (ii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (I.D.T.-1), (iii) हैसियत प्रमाण पत्र (I.D.T.-2) की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत कर तथा उनकी सत्यापित छाया प्रतियां एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू) में	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीकृत ठेकेदारो की श्रेणी
1	जनपद गाजीपुर में तहसील सैदपुर के अन्तर्गत ग्राम धनईपुर में तालाब के पुनरोद्धार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	39.13	3.92	एक माह	300.00 + 13.5 % वैट	सी एवं इससे उपर की श्रेणी

'ार्तेः–

1– यह निविदा सूचना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वेबसाइट www.irrigation.nic.in पर उपलब्ध है। धरोहर धनराशि पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र IDT-1, IDT-2, IDT-3 व अन्य वांछित प्रपत्र / अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

2– अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी समय निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3– कार्य की मात्रा मौके / धनावंटन के अनुसार घट / बढ़ सकती है।

4– शासनादेशानुसार निविदादाता द्वारा विभागीय दर से 10 प्रतिशत तक कम दर दिये जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर, तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर दिये जाने पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त / परफार्मेन्स सेक्योरटी अनुबन्ध गठन के पूर्व देनी होगी।

5– निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1 रू0 का राजस्व टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा / ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6– कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

7– निविदा स्वीकार होने पर निर्धारित तिथि के अर्न्तगत वांछित स्टाम्प पेपर एवं अवशेष जमानत धनराशि देकर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8– नियमानुसार देय आयकर, व्यापार कर, रायल्टी, लेबर सेस आदि की कटौती नवीनतम शासनादेशों के अनुसार की जायेगी।

9– कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज है, निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।

10– राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसी दशा में अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

11– यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव / असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता द्वारा दी गयी न्यूनतम दर की स्थिति में भी उनकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

12– यह संज्ञान में आने पर भी कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

13– विशेष परिस्थितियों में निविदा जमा / खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

15– प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में सर्वप्रथम निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा वांछित धरोहर धनराशि का परीक्षण किया जायेगा। इनमें किसी प्रकार की कमी / त्रुटि पाये जाने पर निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

16– निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के शिडयूल ए (बिल ऑफ क्वांटिटी) में दरें अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी ।

17– एक ठेकेदार केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकता है।

18– निविदादाता निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल की स्थिति एवं कार्य की प्रकृति के बारे में भली–भांति जानकारी कर लें।

19– निविदादाता द्वारा निविदा के साथ पैन व टिन नम्बर देना अनिवार्य होगा।

20– टी0ए0सी0 द्वारा प्रस्तावित वसूली संबंधित ठेकेदार / फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

अधिषासी अभियन्ता
देवकली पम्प नहर प्रखण्ड–द्वितीय
गाजीपुर